गंदगी | मवई में कचरा प्रबंधन पर खड़े हुए गंभीर सवाल, पर्यावरण और वन्यजीवों पर मंडराया खतरा

जनता को नोटिस, लेकिन जंगल किनारे पंचायत का कचरा

नवभारत, मवई। ग्राम पंचायत मवई द्वारा हाल ही में स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देकर स्वच्छता बनाए रखने का नोटिस जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना और व्यापारिक लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी चेतावनी दी गई है। पंचायत की यह मुहिम कागजों पर जितनी सराहनीय दिख रही है, जमीनी हकीकत में पंचायत का खुद का कचरा प्रबंधन ठीक इसके विपरीत है, जिससे अब स्थानीय प्रशासन की कथनी और करनी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

संवेदनशील स्थानों और जंगल किनारे अवैध डंपिंग

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा पूरे क्षेत्र से एकत्रित किया जाने वाला कचरा वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के बजाय खुले में डंप किया जा रहा है। कचरा फेंकने के लिए गांव के एकमात्र खेल मैदान के समीप, विद्यालय के पास और मुक्तिधाम जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे को चुना गया है, जो सीधे वन क्षेत्र की सीमा से सटा हुआ है। इस मार्ग का उपयोग ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए करते हैं, जहां अब दुर्गंध और गंदगी का अंबार लगा हुआ है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना

नियमों के मुताबिक स्थानीय निकायों और पंचायतों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करें। स्वीकृत और निर्धारित लैंडफिल साइट के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक या संवेदनशील स्थान पर कचरा डंप करना पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। नियमों की अनदेखी के कारण देश के कई निकायों पर पूर्व में भारी पर्यावरणीय जुर्माना भी लग चुका है।

वन्यजीवों की जान पर आफत

वन सीमा के नजदीक प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट और अन्य हानिकारक कचरा फेंकने से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की मूल भावना को ठेस पहुंच रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों और ग्रामीणों के अनुसार खुले में पड़े इस कचरे से कई गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। भोजन की तलाश में जंगली जानवर और मवेशी अक्सर प्लास्टिक निगल लेते हैं, जिससे उनकी तड़प-तड़प कर मौत हो सकती है। आबादी और जंगलों के बीच कचरे के ढेर होने से जंगली जानवरों का व्यवहार बदल सकता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की आशंका है। बरसात के दिनों में यह गंदगी बहकर जल स्रोतों में मिलेगी, जिससे भूजल प्रदूषित होगा। कचरे के ढेर में अचानक आग लगने की स्थिति में भीषण वनाग्नि (जंगल की आग) का जोखिम भी काफी बढ़ गया है।

ग्रामीणों ने पूछा, क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं

स्थानीय जनता का कहना है कि यदि आम नागरिकों और व्यापारियों पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, तो खुद पंचायत प्रशासन इन नियमों से ऊपर कैसे हो सकता है?

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि संवेदनशील स्थलों तथा वन सीमा के पास चल रही इस अवैध डंपिंग को तुरंत रोका जाए और पंचायत को वैज्ञानिक पद्धति से स्थायी कचरा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं।

वेतन विसंगति और कटौती के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

▸ रुकी हुई प्रोत्साहन राशि, एरियर और गैर-विभागीय कार्यों के दबाव को लेकर सौंपा ज्ञापन

मंडला। मप्र आशा, आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में संघ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मिशन संचालक और जिला कलेक्टर के नाम एक 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें वेतन विसंगतियों, वेतन कटौतियों और प्रशासनिक उत्पीड़न को लेकर कड़ा विरोध जताया गया है।

श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मातृ-शिशु मृत्यु दर को रोकने और सरकार के स्वास्थ्य अभियानों को 24-24 घंटे सक्रिय रहकर जमीन पर उतारने वाली आशा कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को केवल 6 हजार रूपए मासिक मानदेय मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 10 हजार रूपए से अधिक है। बावजूद इसके विभाग द्वारा कई महीनों तक वेतन रोका जाता है और बाद में बजट का हवाला देकर मनमर्जी से कटौती कर दी जाती है।

इतना ही नहीं साप्ताहिक अवकाश रविवार और त्योहारों की छुट्टियों के दिनों का भी वेतन काटा जा रहा है, जिसे संघ ने पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अमानवीय बताया है। ज्ञापन में मांग की है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिना कटौती के वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

आयुष्मान कार्ड के नाम पर किया जा रहा प्रताड़ित

ज्ञापन में स्पष्ट कहां गया है कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आशा और पर्यवेक्षकों के लिए एक हजार की वार्षिक वेतन वृद्धि की नोट शीट जारी की गई थी, लेकिन आंगनबाड़ी और संविदा कर्मियों को लाभ दिए जाने के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं की इस वैध वृद्धि को जबरन रोक कर रखा गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि आयुष्मान कार्ड बनाने जैसे गैर-विभागीय कार्यों को करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं पर सेवा समाप्ति का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था न होने के कारण इन अल्पवेतन भोगी कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से पैसे खर्च कर आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है।

एक नजर में

वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज

घुघरी। क्षेत्र के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से तहसील मुख्यालय घुघरी में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सचिन जैन के मार्गदर्शन में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।

कार्यशाला में मुख्य रूप से घुघरी एवं मोहगांव तहसील क्षेत्र के वनरक्षकों, पटवारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन (परिवर्तन) की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, सीमांकन, नक्शा व खसरा संबंधी कार्यों के साथ-साथ शासकीय अभिलेखों के संधारण पर बारीकी से चर्चा हुई। अधिकारियों ने समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से वन क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और पानी आसानी से मिल सकेंगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई गति मिलेगी। कार्यशाला में विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के मैदानी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत पड़रिया में पेसा एक्ट समिति की अनदेखी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

मंडला। जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज में प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ की पेसा एक्ट समिति ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर सीधे और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत द्वारा समिति की लगातार अवहेलना की जा रही है। पेसा एक्ट समिति के सदस्यों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या बैठक के, आम सभा में केवल कागजी खानापूर्ति करके सारे नियमों को ताक पर रखकर प्रस्ताव पास करा लिए जाते हैं। इन जिम्मेदार अधिकारियों और पेसा समिति की अनुपस्थिति में पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। समिति ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र के पुराने विकास कार्यों को अधूरा छोड़कर नए काम शुरू कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है।

महिला को नहीं मिली एंबुलेंस, 4 बच्चों को जन्म दिया, चारों मृत

भुआबिछिया। मंडला जिले के बिछिया ब्लॉक के घुटास क्षेत्र के नैगांव निवासी हाई रिस्क महिला ने मंगलवार की दोपहर 4 बच्चों को जन्म दिया और चारों बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्हें समय पर एंबुलेंस नहीं मिली। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर डीजे मोहंती ने बताया कि नैगांव निवासी रजनी सिंगराम पति गणेश सिंगराम को सातवें महीने में ही प्रसव पीड़ा होने के कारण उसे निजी वाहन से पहले घुटास के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

बताया गया कि वहां से महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बिछिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही निजी वाहन में ही महिला को प्रसव हुआ और उसने चार बच्चों को जन्म दिया। चारों बच्चों के प्रीमेच्योर होने के कारण तथा उन सभी का वजन डेढ़-डेढ़ किलो ग्राम के आसपास होने के कारण उन सभी की मृत्यु हो गई. सीएमएचओ मोहंती ने बताया कि महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती कराया गया है सीएमएचो ने बताया कि महिला का इलाज किया जा रहा है वह खतरे से बाहर है।

पुत्र की चाहत में टूटा माता पिता का दिल

इस हृदयविदारक घटना से पीड़ित परिवार सदमे में है। रोते हुए पिता धनेश सिंगराम ने बताया कि उनकी पहले से ही दो बेटियां हैं। इस बार उन्हें पुत्र की चाहत थी, जिसके लिए वे बेहद आशान्वित थे। प्रकृति के इस क्रूर फैसले ने एक ही पल में उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। फिलहाल, प्रसूता महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ है और डॉक्टरों की विशेष निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर भुआ बिछिया बीएमओ डॉ. अनूप भारतीया ने बताया कि महिला की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है।

बालाई पुल के गड्ढे बन रहे जानलेवा, हादसों को दे रहे न्यौता, स्थानीय युवकों की बहादुरी से बची सभी की जान

गड्ढों और खराब सड़क के कारण पुल से नदी में गिरी बोलेरो, रेंजर समेत चार घायल

नारायणगंज। मंडला-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बालई नदी पुल इन दिनों बड़े हादसों का कारण बनता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच पुल पर बने गहरे गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़क के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। बावजूद इसके संबंधित विभाग द्वारा अब तक मरम्मत नहीं कराए जाने से राहगीरों में नाराजगी है।

बीते 6 जुलाई 2026 की रात लगभग 9:30 बजे इसी पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया। जबलपुर से मंडला की ओर जा रही बोलेरो (क्रमांक एमपी-20-टीए-2261) पुल पर बने गड्ढों और सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो पुल की सुरक्षा रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 25 से 30 फीट नीचे बालई नदी में जा गिरी।

हादसे के समय नदी में पानी का स्तर कम होने के कारण वाहन पूरी तरह डूबा नहीं और पलटने से भी बच गया। इससे वाहन में सवार लोगों की जान बच गई। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थानीय युवक मनीष बर्मन और डुमरी सिंगरौरे ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में उतरकर वाहन में फंसे सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और समय रहते सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज पहुंचाया गया। दुर्घटना में मंडला वन विभाग की रेंजर सोनम जैन (36 वर्ष), उनका तीन वर्षीय पुत्र अभ्यांश जैन, शिवानी यादव (19 वर्ष) तथा वाहन चालक घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद रेंजर सोनम जैन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया।

ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत, चार लोग गंभीर रूप से घायल

▸ ओवरटेक के प्रयास में आमने सामने टकराए वाहन

मंडला। नेशनल हाईवे-30 पर गाजीपुर के समीप मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की पहचान भूपेंद्र उईके, जगदीश रजक, अजय सोनी और देवेंद्र उईके के रूप में हुई है, जो भुआ बिछिया और राजो क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार में सवार चारों लोग जबलपुर से अपना काम निपटाकर वापस बिछिया की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान गाजीपुर के पास रायपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उनकी कार की सीधी भिड़ंत हो गई। प्रारंभिक जांच और चश्मदीदों के अनुसार, यह दुर्घटना एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घायल अंदर ही फंस गए।

क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और संबंधित थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए क्षतिग्रस्त कार के मलबे से चारों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

इस भीषण दुर्घटना के चलते नेशनल हाईवे-30 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को बीच सड़क से हटाकर किनारे किया, जिसके बाद हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो सका।

सिंगपुर से मजदूरी कर लौट रहे थे बाइक सवार, पिपरिया के समैया तिराहे के पास हुआ हादसा

मवेशी से टकराई तेज रफ्तार बाइक, गाय की मौत, दो युवक घायल

निवास। निवास से मंडला मार्ग पर स्थित ग्राम पिपरिया के समैया तिराहा के समीप मंगलवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक सामने आए गाय से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं दुर्घटना में गाय की मौके पर ही मौत हो गई।

मजदूरी कर घर लौट रहे थे युवक : जानकारी अनुसार ग्राम खुदरी निवासी रामचरण मरावी 30 वर्ष पिता सुब्बे मरावी और ग्राम समैया निवासी संजू मरावी 25 वर्ष पिता राजू मरावी दोनों पेशे से मजदूर हैं। मंगलवार को दोनों युवक ग्राम सिंगपुर से अपनी मजदूरी का काम खत्म करके बाइक द्वारा ग्राम पिपरिया की ओर आ रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वे समैया तिराहे के पास पहुंचे, सड़क पर अचानक एक गाय सामने आ गई। रफ्तार अधिक होने के कारण बाइक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक सीधे गाय से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में उछलते हुए सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत 108 एंबुलेंस और डायल-112 पुलिस को सूचना दी।

आंगनबाड़ियों का जिला कार्यक्रम अधिकारी ने किया निरीक्षण

मवई। महिला एवं बाल विकास विभाग के नवागत जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद परस्ते ने मंगलवार को मवई विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार रमपुरी, खड़देवरी एवं मड़फा माल सहित अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार, स्वच्छता, पोषण वाटिका और शासकीय योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्देशित किया कि प्रत्येक केंद्र में अनिवार्य रूप से पोषण वाटिका विकसित की जाए, जिससे बच्चों, गर्भवती माताओं को ताजी व पौष्टिक सब्जियां मिल सकें। उन्होंने पोषण आहार की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए सख्त लहजे में कहा कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही आहार उपलब्ध कराया जाए।

अधिकारी ने बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन- निरीक्षण की एक खास तस्वीर मड़फा माल आंगनबाड़ी केंद्र में देखने को मिली, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्वयं बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया।

निवास में पीएम पोषण प्रतियोगिता के बीच पहुंचीं न्यायाधीश

▸ रसोइयों को दी कानून की जानकारी

निवास। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति निवास के तत्वावधान में जनपद पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदमिनी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का लाभ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आयोजित कुक कम हेल्पर्स (रसोइया) प्रतियोगिता में भाग लेने आए संभाग के अनेक प्रतिभागियों और ग्रामीणों को मिला।

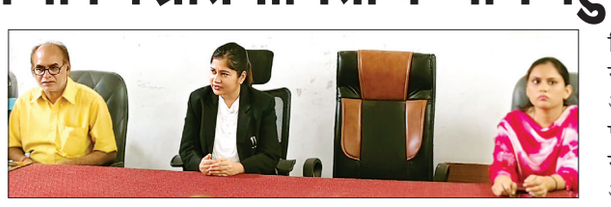

शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश पदमिनी सिंह ने उपस्थित जनों को राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता और सलाह के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों व रसोइयों को पॉक्सो एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट तथा भरण-पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी कड़ियों की जानकारी प्रदान करते हुए स्वयं की रक्षा के लिए प्रेरित किया।

न्यायाधीश ने बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने की विशेष समझाइश दी। उन्होंने मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए इसके सीमित इस्तेमाल की सलाह दी। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनील दुबे, आजीविका मिशन से पूजा शर्मा सहित जनपद पंचायत के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

अभियान | ऑपरेशन सेफ क्लिक के तहत छात्राओं को सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

साइबर अपराध से बचाव के लिए टिकरिया पुलिस की जागरूकता रैली

नारायणगंज। इन दिनों पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए टिकरिया पुलिस द्वारा सोमवार, 7 जुलाई 2026 को 'ऑपरेशन सेफ क्लिक' अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारायणगंज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकालकर छात्राओं एवं आम नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

रैली में छात्राओं ने साइबर सुरक्षा से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां एवं बैनर लेकर लोगों को ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, यूपीआई पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, फर्जी कॉल या लुभावने ऑफर के झांसे में आने से बचने की सलाह भी दी गई। पुलिस ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की घटना होती है तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराए अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत करे, जिससे समय रहते कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान पुलिस थाना प्रभारी प्रदीप पाण्डेय ने छात्राओं से अपील की कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल जीवन के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बारिश के बाद सड़कों पर जमा मवेशियों का डेरा

▸ राहगीर और वाहन चालक परेशान
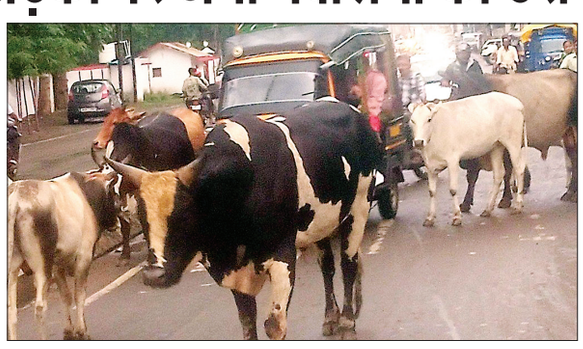
मंडला. बारिश के बाद शहर की सड़कों पर निराश्रित मवेशियों की मौजूदगी एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कोतवाली थाना से नगर पालिका कार्यालय के बीच पुलिस पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर बड़ी संख्या में मवेशी बैठे और घूमते नजर आए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़क के बीचोंबीच मवेशियों के खड़े होने से ऑटो, दोपहिया और अन्य वाहन चालकों को धीमी गति से निकलना पड़ा। कई बार वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति भी बनी, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा आम बात हो गई है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि मवेशियों को सड़कों से हटाने और उनके उचित प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि शहर की सड़कों पर सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके।